

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक: एफ 9-9/2006/नियम/चार
प्रति,

भोपाल दिनांक 15 जुलाई, 2014

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय- संविलयनित वृद्ध पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने बाबत।


❖

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 द्वारा राज्य शासन के निगमों/ उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/ मंडलों/ निकायों आदि में संविलयनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सारांशीकरण की गई पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन के निर्देश दिये गये हैं।
2/ उपरोक्त तारतम्य में राज्य शासन द्वारा संविलयनित वृद्ध पेंशनरों को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन की पात्रता दी जाती है :-

| पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र | अतिरिक्त राशि |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 |
| 80 वर्ष से अधिक तथा 85 वर्ष से कम | 1/3 प्रत्यावर्तित पेंशन का 20% |
| 85 वर्ष से अधिक तथा 90 वर्ष से कम | 1/3 प्रत्यावर्तित पेंशन का 30% |
| 90 वर्ष से अधिक तथा 95 वर्ष से कम | 1/3 प्रत्यावर्तित पेंशन का 40% |
| 95 वर्ष से अधिक तथा 100 वर्ष से कम | 1/3 प्रत्यावर्तित पेंशन का 50% |
| 100 वर्ष या उससे अधिक | 1/3 प्रत्यावर्तित पेंशन का 100% |

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)

सचिव


म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-9/2006/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2014

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अजय चौबे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग